बनाम

ग्राम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28/2/18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री रामगोपाल शर्मा ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल है। वकील वादी ने प्रतिवादीगण को भेजे रजिस्टर्ड नोटिस की रसीद पेश की जो शामिल मिसल है। पत्रावली तलबी इत्तला प्राप्ति रसीद हेतु दिनांक 11/4/18 को पेश हो Sd/- 28.2.18	
	11.4.18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री रामगोपाल उपस्थित। प्रतिवादी सं. 2 लगा 8, 10, 11 को रजिस्टर्ड नोटिस भेजे एक माह से अधिक समय होगया तामिल पर्याप्त मानी जाती है। बावजूद सूचना प्रतिवादी सं. 2 लगा 8, 10, 11 आज अनुपस्थित है अतः प्रतिवादी सं. 2 लगा 8, 10, 11 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी को प्रतिवादी सं. 1 को सही पते के रजिस्टर्ड नोटिस पुनः पेश करने की हिदायत दी। पत्रावली प्रतिवादी सं. 1 की तलबी एवं प्रतिवादी सं. 1 की जवाबदावा हेतु दिनांक 25.4.18 को पेश हो Sd/- 11.4.18	
	25.04.18	पत्रावली पेश हुई, पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु ... द्वार फैसला ... मोहनपुरा में दि. 22.5.18 को पेश हो।	
	22.05.18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट मोहनपुरा	

नाम न्यायालय

केस संख्या 19/17

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
प्रेमदेवी मैसी		मे पेश हुई । वादीगण स्वयं उपस्थित जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत मोहनपुरा ने की है। उपस्थित मौतबिरान से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे जानकारी ली गयी। वादीगण को वादपत्र पर सुना गया । वादीगण ने वाद का निर्णय हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं वादीगण को वादपत्र पर सुनने एवं उपस्थित मौतबिरान से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे जानकारी लेने तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने व लोक अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णय अनुसार वादग्रस्त आराजी ख.न. 130, 150 कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 1 बिसा स्थित ग्राम राजपुरा भौन्यावाला प.ह. मोहनपुरा तह. बस्सी जयपुर के सम्बन्ध मे रिकार्ड अनुसार धोलाराम के फोत होने पर उनकी विरासत का नामान्तकरण उनके 6 वारिसो के नाम क्रमशः किरण, मैसी उर्फ अशोक, प्रेम देवी, मन्ना, रेखा, मीरा के नाम प्रत्येक के 1/36 खुलना चाहिए था उसके स्थान पर वादीगण के 1/18 - 1/18 व प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/18 हिस्से का रिकार्ड मे अंकन हो गया। वादीगण के नाम दर्ज सम्पूर्ण हिस्से का बेचान प्रतिवादी स. 1	

फर्द अहकाम

प्रेम देवी बनाम किरण

[illegible] सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बस्सी

[illegible] मुकदमा नम्बर : 19/17

[illegible]	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	को कर दिया गया तथा धोलाराम की पुत्रियों ने अपना अपना हिस्सा वादीगण को हकत्याग कर दिया गया है। वादीगण का प्रतिवादी स. 1 को बेचान के बाद 1/36 हिस्सा शेष रहता है तथा प्रतिवादी स. 1 का 1/18 के स्थान पर 1/36 हिस्सा बनता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त आराजी ख. न. 130, 140 कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा स्थित ग्राम राजपुरा भौन्यावाला प. ह. मोहनपुरा तह. बस्सी जयपुर के सम्बन्ध मे वादीगण को अपने हिस्से की भूमि के बेचान के पश्चात शेष बची भूमि में से 1/36 हिस्से का खातेदार व प्रतिवादी स. 1 के 1/36 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाद ग्रस्त भूमि का उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बस्सी को तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। आज दिनांक 22.05.18 को यह निर्णय न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट मोहनपुरा मे मजमे आम मे सुनाया गया। [signature] 22.5.18 सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रूल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.

दीपाली भगोतिया आर.ए.एस, सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी

प्रेम देवी बनाम किरण

1. प्रेम देवी बेवा धोलाराम
2. मैसी उर्फ अशोक पुत्र स्व. धोलाराम नाबालिग जरिये माता प्रेमदेवी समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम राजपुरा उर्फ भोन्यावाला तह बस्सी जयपुर

1. किरण पत्नि स्व हरिनारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम राजपुरा उर्फ भोन्यावाला तह बस्सी जयपुर हाल निवासी ग्राम लवाण, तह लवाण जिला दौसा
2. हेतराज पुत्र नाथूलाल जाति बैरवा निवासी प्लाट न. 81 पोल्ट्री फार्म आगरा रोड जामडोली जयपुर

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 19/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू .... व हाजरी ....

मिनजानिब मुददई रूबरू .... मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादग्रस्त आराजी ख.न. 130,150 कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा स्थित ग्राम राजपुरा भोन्यावाला प.ह. मोहनपुरा बस्सी जयपुर के सम्बन्ध मे वादीगण को अपने हिस्से की भूमि के बेचान के पश्चात शेष बची भूमि मे से 1/36 हिस्से का खातेदार व प्रतिवादी सं. 1 के 1/36 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि का उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

.... निजि .... मुतालिक .... बाबत ....

खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाब तक .... को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.05. सन् 2018 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत [signature] 22.5.18

ओहदा सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जिला जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		

※ प्रतिवादी

3. कमला पत्नि गोपाल
4. रामफूल
5. लक्ष्मीनारायण | पुत्रान गोपाल
6. नाथी बेवा चन्दा
7. किशनलाल
8. केसरा नारायण | पुत्रान चन्दा

समस्त जाति बैरवा निवासी राजपुरा उर्फ भोन्थावाला तह. बस्सी जयपुर

9. लालाराम पुत्र श्रीनारायण जाति महावर निवासी प्लाट नं. 10 कृष्णा कालोनी रामगढ़ मोड जयपुर
10. उप पंजीयक बस्सी
11. तहसीलदार बस्सी

(signature) 22-5-18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला जयपुर